



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246778
CG-DL-E-23062023-246778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]
No. 2635]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

सं. 13/2023

विषय: एचएस कोड 2610 की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 2755(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा क्रोम अयस्क से संबंधित एचएस कोड 2610 के तहत मदों की निर्यात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती है:

क्र.सं.	एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
	2610	क्रोमियम अयस्क और कान्सन्ट्रेट				
108क	26100010	क्रोम अयस्क लम्स, जिसमें Cr_2O_3 47% और इससे अधिक हो।	मुक्त	-	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात की अनुमति है।
108ख	26100020	क्रोम अयस्क लम्स जिसमें 40% या इससे अधिक लेकिन 47% से कम Cr_2O_3 हो।	मुक्त	-	प्रतिबंधित	

109	26100030	क्रोम अयस्क लम्पस जिसमें Cr ₂ O ₃ 40% से नीचे हो।	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात	प्रतिबंधित	
110	26100040	क्रोम अयस्क फ्रायबल और कान्सन्ट्रेट फिक्सेस जिसमें Cr ₂ O ₃ 47% और इससे अधिक हो।	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात	प्रतिबंधित	
111	2610 0090	अन्य	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात	प्रतिबंधित	

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एचएस कोड 2610 के तहत निर्यात मदों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

[फा. सं. 01/91/191/120/एम-23/ईसी/ई-35147]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2023

No. 13 /2023

Subject: Amendment in Export policy of HS Code 2610.

S.O. 2755(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends Export Policy of items under HS Code 2610 related to Chrome Ore, as under:

S.No.	HS Code	Item Description	Export Policy	Policy Condition	Revised Export Policy	Revised Policy Condition
	2610	Chromium Ores and Concentrates				
108A	26100010	Chrome ore lumps, containing 47% Cr ₂ O ₃ and above	Free	-	Restricted	Export permitted under Authorisation.
108B	26100020	Chrome ore lumps containing 40% or more but less than 47% Cr ₂ O ₃	Free	-	Restricted	
109	26100030	Chrome ore lumps below 40% Cr ₂ O ₃	STE	Export through MMTC Limited	Restricted	
110	26100040	Chrome ore friable and concentrates fixes containing 47% Cr ₂ O ₃ and above	STE	Export through MMTC Limited	Restricted	
111	26100090	Other	STE	Export through MMTC Limited	Restricted	

2. Effect of the Notification:

The export items under HS Code 2610 have been placed under restricted category with immediate effect.

[F. No. 01/91/191/120/AM23/EC/E-35147]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.